

05-9-20
~~30-9-20~~

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपास्थित
गैरकानूनी अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/
धारा - 144..... होने से
पत्रावली दिनांक 30-9-20 को पेश होवे



30-9-20

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपास्थित:
गैरकानूनी अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/
धारा - 144..... होने से
पत्रावली दिनांक 12-11-20 को पेश होवे




12-11-20

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपास्थित:
गैरकानूनी अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/
धारा - 144..... होने से
पत्रावली दिनांक 18-12-20 को पेश होवे



18-12-20

पत्रावली पेश हुई। अर्थात् आदि
उपस्थित। मूल वाद खारिज
होने के कारण प्र. पत्र खारिज
हिया जाता है। पत्रावली शब्द
के कम होकर दायित्व दफ्तर
नी जाती है।



सहायक कलेक्टर एवं सप्लायण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. जयपुर (राज.)